**भारत सरकार**
**संचार मंत्रालय**
**दूरसंचार विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 618**
**उत्तर देने की तारीख 23 जुलाई, 2025**

**बहराइच में भारतनेट परियोजना के अंतर्गत ऑप्टिकल फाइबर**

**618. डॉ. आनन्द कुमार गोंड:**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतनेट परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, विशेषकर बहराइच लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े हुए गांवों की संख्या क्या है और उन गाँवों की संख्या क्या है, जहाँ इस योजना के अंतर्गत अभी तक इंटरनेट सुविधा प्रदान नहीं की गई है;

(ख) क्या सरकार का यह ध्यान में रखते हुए कि बहराइच लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र मूल रूप से एक ग्रामीण और पिछड़ा क्षेत्र है, जहाँ अधिकांश जनसंख्या अभी भी उच्च गति इंटरनेट सुविधाओं से वंचित है, यहाँ के सभी गांवों को भारतनेट परियोजना के चरण-2 के अंतर्गत शामिल करने का विचार है, ताकि इस क्षेत्र में शिक्षा, रोजगार और सामाजिक विकास के लिए नए अवसर उत्पन्न किए जा सकें, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ऐसे सुदूर क्षेत्रों में, जहाँ ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से इंटरनेट सुविधा प्रदान करना मुश्किल है, इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए वाई-फाई का उपयोग करने वाले सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है/विचार करने वाली है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री**
**(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)**

(क) और (ख) सरकार ने बहराइच निर्वाचन क्षेत्र सहित देश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) द्वारा वित्तपोषित 'भारतनेट' और विभिन्न मोबाइल परियोजनाओं की शुरूआत की हैं। अभी तक, उत्तर प्रदेश में 46,746 ग्राम पंचायतों (जीपी) को भारतनेट परियोजना के तहत सेवा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है जिसमें बहराइच निर्वाचन क्षेत्र की 72 ग्राम पंचायत (जीपी)

शामिल हैं। इसके अलावा, सरकार ने भारतनेट चरण-I और चरण-II के मौजूदा नेटवर्क के उन्नयन के लिए रिंग नेटवर्क पर बहराइच निर्वाचन क्षेत्र सहित देश की सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) को कवर करते हुए संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) के लिए अनुमोदन दिया है। संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) को रोल आउट किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में यह कार्य शुरू हो गया है। निर्माण कार्य की अवधि करार पर हस्ताक्षर की तिथि से 3 वर्ष है तथा उसके बाद 7 वर्ष के लिए प्रचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) शुरू होगा।

(ग) चूंकि अब राज्य में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) लागू किया जा रहा है, इसलिए जहां कहीं भी ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करना संभव नहीं है, वहां वैकल्पिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का प्रस्ताव है।

***